

न्यायालय अपर समाहर्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० - 92/2016

सरकार बनाम हरिनारायण सिंह

आदेश

3.4.21

प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक 966, दिनांक 13.11.2014 से श्री हरिनारायण सिंह पिता मुखदेव सिंह ग्राम - खैराडीह पो०+थाना - राजपुर अंचल - राजपुर के नाम से के नाम से कायम जमाबंदी सं० - 5071/25 के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव एवं अंचल राजपुर जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० 92/2014-15 अभिलेख के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वादगत भूमि का विवरण

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
राजपुर	राजपुर/07	933	5238	0.03 ए०

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज द्वारा प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का रिविजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज है। अंचल अधिकारी राजपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी श्री हरिनारायण सिंह पिता मुखदेव सिंह ग्राम - खैराडीह पो०+थाना - राजपुर अंचल - राजपुर के नाम से कायम कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अंचल अधिकारी राजपुर के द्वारा कायम किए गए जमाबंदी को रद्द करने की अनुशांसा की जाती है।

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गयी। द्वितीय पक्ष वकालतनामा के साथ उपस्थित हुए, दिनांक 30.09.2019 के उपरान्त लागातार अनुस्थित रहे। जिससे स्पष्ट है कि संबंधित वादगत जमाबंदीदार को प्रश्नगत जमाबंदी के सन्दर्भ अपना दावा के सर्म्थन में कोई साक्ष्य नहीं रखना है।


राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने वादगत भूमि का आर०एस० खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार लगान निर्धारण द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में इस न्यायालय द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें अंचल अधिकारी राजपुर से अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व कर्मचारी मो० नेसार अहमद द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 197/2012-13 अंकित कर जमाबंदी सं० 5071/25 कायम किया गया है तथा जमाबंदी पंजी पर टिप्पणी अंकित है कि जाँच किया सही पाया। परन्तु उक्त लगान निर्धारण का कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय में राजपुर में उपलब्ध नहीं है। केवल एक साधारण पंजी संधारित है। जिसमें जमाबंदी का जिक्र किया गया है। परन्तु उस पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :-

(1) अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बन्दोबस्ती के आधार प्राप्त बंदोबस्तीधारी को प्राप्त भूमि Non transferable but heritable होता है। इस प्रकार यदि बंदोबस्तीधारी से भी यह भूमि बिक्री पत्र के आधार पर को प्राप्त होने के तत्पश्चात नामान्तरण होना अवैध है।

(2) वादगत अभिलेख में रैयत को विक्रेता द्वारा भूमि प्राप्त होने के आधार का साक्ष्य न तो अंचल अधिकारी राजपुर के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है और न ही विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि दा०खा०वाद सं०




197/2012-13 के आलोक में कायम जमाबंदी का आधार ही गलत है।


उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है, जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकूल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दी वाद सं० 92/2014-15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा-राजपुर, थाना सं० - 07, खाता सं० - 933, खेसरा सं० - 5238 रकबा - 0.61 ए० की जमाबंदी जगदीश सिंह, ग्राम+पो० - राजपुर के नाम से कायम है, का जमाबंदी सं० - 5071/25 को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जमाबंदी रद्द किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी महोदय को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।


अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।

साधारण - 342/न्याय, दिनांक - 05/04/24

प्रतिलिपि - ~~अंचल अधिकारी राजपुर / भूमि सुधार
उप समाहर्ता, बिक्रमगंज / स्थापना उप समाहर्ता
सासाराम, रोहतास को सूचना एवं अनुपालन
प्रेषित।~~

प्रतिलिपि - ~~जिला सूचना एवं विज्ञापन पत्राण (NAC) रोहतास
सासाराम को सूचना, जिले को वेबपेज
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।~~


अपर समाहर्ता,
रोहतास, सासाराम।